राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख,
उत्तर प्रदेश।

डीजी परिपत्र सं0–38 /2025
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग,
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं0 0522–2724003 / 2390240
फैक्स नं0 0522–2724009
सीयूजी नं0– 9454400101
ई–मेल– police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in
दिनांक – सितम्बर 21 ,2025

प्राथमिकता–2 ''महिलाओं का सशक्तिकरण और सुरक्षा / संरक्षण''
मिशन शक्ति फेज– 5.0

विषय– प्रदेश के समस्त थानों में ''**मिशन शक्ति केन्द्र**'' की स्थापना एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय / महोदया,

आप सभी को अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल एवं वृहद जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में महिलाओं की सुरक्षा एक अत्यन्त संवेदनशील विषय है। महिलाओं का उत्पीड़न रोकने, उनके विरूद्ध हो रहे अपराधों को नियंत्रित करने, उनको सहायता प्रदान करने एवं महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा अनेक योजनायें कियान्वित की जा रही हैं। उ0प्र0 पुलिस महिला शिकायतकर्ताओं के प्रति संवेदनशीलता, तत्परता, प्राथमिकता एवं उनके साथ होने वाली किसी भी घटना के उपरान्त समुचित काउन्सलिंग, सहयोग एवं संरक्षण के साथ ही उपरोक्त कार्यों हेतु जवाबदेही तय करने के लिए कटिबद्ध है।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि प्रदेश के प्रत्येक थाने के परिसर के अन्दर उनकी समस्याओं व शिकायतों पर त्वरित एवं गुणवत्तापरक निस्तारण, पीड़ित महिलाओं की समुचित सहायता एवं उनके विरूद्ध होने वाले अपराधों के **प्रभावी पर्यवेक्षण व जवाबदेही के लिए सभी सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन का एक नेतृत्व में एकीकरण किया जाय।** इस हेतु महिलाओं के लिए समर्पित प्रदेश के प्रत्येक थाने में **मिशन शक्ति केन्द्र** की स्थापना की जा रही है।

1. संरचनात्मक ढ़ांचा / मानव संसाधन–

- मिशन शक्ति केन्द्र थाने में पुलिस चौकियों की भांति महिला शिकायतकर्ताओं / पीड़िताओं के लिए कार्य सम्पादित करेगी तथा इस केन्द्र में नियुक्त निरीक्षक / उपनिरीक्षक महिला अपराधों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभियोगों की विवेचना भी करेंगे। प्रत्येक मिशन शक्ति केन्द्र में उपलब्धतानुसार निम्नलिखित पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी–
  - i. महिला / पुरूष अतिरिक्त निरीक्षक / उ0नि0 (प्रभारी) – 01 (प्राथमिकता महिला अधिकारी को)
  - ii. महिला / पुरूष उ0नि0 – 01–04 (कम से एक महिला अधिकारी, यदि प्रभारी पुरूष हो)
  - iii. महिला / पुरूष मुख्य आरक्षी / आरक्षी – 04–15 (सामान्यतः 50% महिलाकर्मी को रखा जाए)
  - iv. महिला होमगार्ड – 01–02
  - v. संवेदनशील प्रकरणों में मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किये जाने हेतु परामर्शदाताओं को नामित कराया जाय तथा आवश्कतानुसार उनकी सहायता प्राप्त की जाय।
- मिशन शक्ति केन्द्र में कर्मियों को कम से कम 03 से 05 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा। इन प्रशिक्षित कर्मियों का एक थाने के मिशन शक्ति केन्द्र से दूसरे थाने के मिशन शक्ति केन्द्र में स्थानान्तरण नोडल अधिकारी के प्रस्ताव पर जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा स्थापना बोर्ड के माध्यम से

कराया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में नोडल अधिकारी के अनुमोदन पर ही 03 वर्ष पूर्व किसी कर्मी को मिशन शक्ति केन्द्र से De-induct किया जायेगा।

- ❖ नोडल अधिकारी भविष्य के लिए नये कर्मियों को लगातार प्रशिक्षित करायेंगे जिससे आवश्यकता पड़ने पर नये प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध रहें।

2. संसाधन–

प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष थाने में ही मिशन शक्ति केन्द्र के लिए एक कक्ष उपलब्ध करायेंगे तथा अच्छी दशा में मेज–कुर्सियां, अन्य कार्यालय फर्नीचर, वाटर डिस्पेन्सर, कम्प्यूटर, आवश्यक अभिलेख, मूलभूत स्टेशनरी, मोबाइल फोन तथा सिम महिलाओं के लिए शौचालय की समुचित व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायेंगे।

3. मिशन शक्ति केन्द्र के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

i. महिला हेल्प डेस्क का ड्यूटी रोस्टर तैयार करना एवं निकट पर्यवेक्षण करना तथा प्रत्येक आवेदन पर समय से अनुवर्ती कार्यवाही (Follow-up) करना।
ii. एण्टी रोमियो स्क्वाड्स का ड्यूटी रोस्टर तैयार करना एवं पर्यवेक्षण करना।
iii. थाना क्षेत्र में महिला बीट योजना के नियमित एवं पूर्ण क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करना।
iv. महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से सम्बन्धित समस्त एफ0आई0आर0 का समानान्तर रिकार्ड बनाए रखना और समयबद्ध निस्तारण के लिए विवेचनाओं का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित करना।
v. पीड़िताओं को सहायता सेवाओं जैसे– काउन्सलिंग, कानूनी सहायता, पुनर्वास, कम्पेन्सेशन, आदि हेतु वन स्टाप सेण्टर, डी0एल0एस0ए0, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति (CWC), फेमिली कोर्ट आदि से समन्वय स्थापित करना।
vi. महत्वपूर्ण कर्तव्यों जैसे– पीड़िता की चिकित्सा जांच, दबिश एवं अन्य आवश्यक कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध कराना।
vii. महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में अभियुक्त के विरूद्ध की गयी समस्त निवारक कार्यवाहियों का समानान्तर रिकार्ड बनाए रखना।
viii. प्रारंभिक काउंसलिंग के बाद उपयुक्त प्रकरणों को परिवार परामर्श केंद्र को संदर्भित करना एवं अनुवर्ती (Follow-up) कार्यवाही कराना।
ix. पलायन सम्बन्धी (Elopement Related) प्रकरणों (धारा– 363/366 भा0द0वि0 अथवा 137/87 बीएनएस) तथा महिलाओं को मोहरा बनाकर झूठे आरोप लगाने के प्रकरणों में अनिवार्य काउन्सलिंग कराना।
x. समस्त उपयुक्त प्रकरणों में प्रथम स्तर की काउन्सलिंग देना।
xi. महिला सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा के सम्बन्ध में थाना क्षेत्र में नियमित जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

4. अधिकारियों के उत्तरदायित्व–

i. प्रभारी मिशन शक्ति केन्द्र के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

a) प्रभारी मिशन शक्ति केन्द्र, इस सेल की कार्यकारी मुखिया होगी और उसके समग्र संचालन, प्रबन्धन और मासिक कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सीधे जिम्मेदार होगी।
b) मिशन शक्ति केन्द्र की समग्र कार्यप्रणाली, दक्षता और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीधे जिम्मेदार होगी।
c) अपने अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों (उपनिरीक्षक, हेड कान्सटेबल, कान्सटेबल) की निगरानी, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना। यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मी एस0ओ0पी0, कानूनों और दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
d) महिला सम्बन्धी प्राप्त सभी शिकायतों का दैनिक पर्यवेक्षण करना और यह सुनिश्चित करना कि वे तुरन्त दर्ज हों और उन पर समयबद्ध कार्यवाही हो। संवेदनशील और जटिल मामलों में सीधा हस्तक्षेप और

मार्गदर्शन प्रदान करना। अनुवर्ती कार्यवाही (Follow-up) की प्रक्रिया की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक पीड़ित को उचित सहायता मिले।

e) वन स्टॉप सेण्टर (OSC), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), परिवार परामर्श केन्द्र (PPK), जिला प्रोबेशन अधिकारी (DPO), जिला समाज कल्याण अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ मजबूत कार्य सम्बन्ध और प्रभावी समन्वय स्थापित करना। बैठकों और समीक्षाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना।

f) अपने अधीन कार्यरत कर्मियों के लिए ड्यूटी रोस्टर तैयार करना (एण्टी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्प डेस्क, महिला बीट)।

g) शिकायतों से सम्बन्धित की गयी कार्यवाहियों, रेफरल और परिणामों से सम्बन्धित डेटा का नियमित विश्लेषण करना। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के पैटर्न और प्रवृत्तियों की पहचान करना। नोडल अधिकारी/पर्यवक्षण अधिकारी को समय पर और सटीक रिपोर्ट प्रेषित करना।

h) थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवादों के निस्तारण, महिला सुरक्षा और महिला साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनके सफल आयोजन को सुनिश्चित करना। समुदाय के साथ मिलकर काम करना और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

i) महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में अभियुक्त के विरूद्ध की गयी समस्त निवारक कार्यवाहियों का समानान्तर रिकार्ड बनाए रखना।

j) थाने के किसी भी प्रकरण के महत्वपूर्ण कर्तव्यों जैसे. पीड़िता की चिकित्सीय जांच, दबिश एवं अन्य आवश्यक कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध कराना।

k) प्रारंभिक काउंसलिंग के बाद उपयुक्त प्रकरणों को परिवार परामर्श केंद्र को संदर्भित करना एवं अनुवर्ती (Follow-up) कार्यवाही कराना।

l) पलायन सम्बन्धी (Elopement Related) प्रकरणों (धारा– 363/366 भा0द0वि0 अथवा 137/87 बीएनएस) तथा महिलाओं को मोहरा बनाकर झूठे आरोप लगाने के प्रकरणों में अनिवार्य काउन्सलिंग कराना।

m) यह सुनिश्चित करना कि कर्मियों को महिला सुरक्षा, महिला साइबर सुरक्षा, कानूनी प्रावधानों और परामर्श तकनीकों पर नियमित और अद्यतन प्रशिक्षण मिले। कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और आवश्यकतानुसार क्षमता निर्माण के उपाय सुझाना।

ii. उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

a) प्रभारी मिशन शक्ति केन्द्र के सहायक के रूप में कार्यों का सम्पादन एवं विशिष्ट कार्यों के निष्पादन तथा पर्यवेक्षण में सहायता।

b) प्रभारी द्वारा सौंपे गये प्रकरणों की प्रारम्भिक जांच एवं मूल्यांकन करना। इसमें शिकायतकर्ता और अन्य सम्बन्धित पक्षों से बातचीत करना, प्रारम्भिक जानकारी एकत्र करना और साक्ष्य जुटाना सम्मिलित है। यह निर्धारित करना कि क्या मामले में एफ0आई0आर0 की आवश्यकता है या इसे परामर्श अथवा मध्यस्थता के लिए सन्दर्भित किया जाना समीचीन होगा।

c) प्रथम स्तर की काउन्सलिंग प्रदान करना और यह निर्धारित करना कि क्या मामला परिवार परामर्श केन्द्र (PPK) को सन्दर्भित करने के लिए उपयुक्त है। इलोपेमेन्ट प्रकरणों और झूठे आरोपों से सम्बन्धित मामले में काउन्सलिंग कर सत्यता का पता लगाने में सहायता करना।

d) महिला हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मियों एवं एण्टी रोमियो स्क्वाड की दैनिक गतिविधियों को लीड करना एवं सक्रिय पर्यवेक्षण करना। यह सुनिश्चित करना कि वे अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक और संवेदनशीलता के साथ पालन कर रहे हैं। दैनिक कार्य रिपोर्ट तैयार करना और प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करना। प्रकरणों की प्रगति पर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करना।

e) एण्टी रोमियो स्क्वाड में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दशा में क्षेत्र के किसी भी विद्यालय के आस–पास शोहदों का जमावड़ा न हो व किसी भी स्थान पर महिलाओं/बच्चियों के साथ छेड़खानी न हो।

f) केस सम्बन्धी फाइलों का सही और विस्तृत दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना। सभी आवश्यक रिकार्ड एवं रजिस्टरों का रखरखाव।

iii. महिला मुख्य आरक्षी/आरक्षी (महिला हेल्प डेस्क) के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

a) सीधे जनता के साथ सम्पर्क में रहकर मिशन शक्ति केन्द्र के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर लागू करना।
b) महिला हेल्प डेस्क द्वारा महिलाओं को सुरक्षा, सहायता और न्याय प्राप्ति में सहायता प्रदान करना।
c) महिलाओं को सशक्त बनाना एवं पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहायता करना और पुलिस तथा महिलाओं के बीच विश्वास बढ़ाना।
d) महिलाओं को कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान करना और महिलाओं को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
e) महिला हेल्प डेस्क महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों का एकल सम्पर्क बिन्दु होने के दृष्टिगत पीड़ित महिलाओं का महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से उनके नियमित मामलों की स्थिति के बारे में अपडेट प्रदान करना।
f) महिला पीड़ितों को महिला हेल्प डेस्क पर बुलाकर परामर्श, क्षतिपूर्ति व अन्य सुविधायें प्रदान कराना तथा मौजूदा कानूनों के बारे में जानकारी, योजनाओं तथा सरकारी कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया जाना।
g) महिला पीडितों को महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से प्रत्येक थाना स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन तथा सामुदयिक सम्पर्क बैठकों में सुविधा प्रदान कराना।
h) महिला बीट योजना तथा एण्टी रोमियो स्क्वाड का संचालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
i) मिशन शक्ति केन्द्र के लिए निर्धारित किये गये अनिवार्य अभिलेखों का नियमित अद्यतनीकरण (Updation) एवं रख–रखाव करना।

5. पर्यवेक्षण अधिकारियों के उत्तरदायित्व–

i. नोडल अधिकारी (जनपदीय अपर पुलिस अधीक्षक/कमिश्नरेट पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त) के उत्तरदायित्व–

a) जनपदीय पुलिस अधीक्षक या कमिश्नरेट पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर मिशन शक्ति केन्द्र के लिए नोडल अधिकारी होंगे।
b) नोडल अधिकारी द्वारा एक थाने के मिशन शक्ति केन्द्र से दूसरे थाने के मिशन शक्ति केन्द्र में कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु कमिश्नरेट/जनपद के पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को प्रस्ताव भेजा जायेगा, जिस पर सम्बन्धित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपदीय स्थापना बोर्ड की गोष्ठी में विचार करेंगे।
c) उप निरीक्षक/मुख्या आरक्षी/आरक्षी का Transfer/Induction/Deinduction बिना नोडल अधिकारी के प्रस्ताव के नहीं होगा।
d) समस्त मिशन शक्ति केन्द्रों की मासिक कार्ययोजनाओं और रणनीतियों को अन्तिम रूप देना नोडल अधिकारी का दायित्व होगा यह सुनिश्चित करना कि महिला सुरक्षा सम्बन्धी सभी कार्य पुलिस मुख्यालय और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्गत नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुरूप हों।
e) नोडल अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी के साथ मासिक समीक्षा बैठक करना। समस्त मिशन शक्ति केन्द्र के समग्र प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करना। मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना और प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश देना। अपने क्षेत्राधिकार में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के रूझानों (TRENDS) और पैटर्नों का विश्लेषण करना तथा निवारक उपायों का सुझाव देना।
f) यह सुनिश्चित करना कि थानों में महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केन्द्र के लिए पर्याप्त मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन और भौतिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। पूर्व में जो संसाधन यथा फर्नीचर,

कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फोन आदि महिला हेल्प डेस्क के लिए आवंटित किये गये थे या आवंटित फण्ड से क्रय किये गये थे उन सभी को मिशन शक्ति केन्द्र में समायोजित कराना।

g) विभिन्न सरकारी विभागों (जैसे–समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा), न्यायिक अधिकारियों (DLSA) NGOs और अन्य हितधारकों के साथ जिला स्तरीय समन्यव स्थापित करना। यह सुनिश्चित करना कि पीडित महिलाओं को सभी आवश्यक सहायता सेवायें (OSC, PPK, पुनर्वास, क्षतिपूर्ति) निर्बाध रूप से मिल सके।

h) समस्त मिशन शक्ति केन्द्र कर्मियों की जवाबदेही तय करना और किसी भी लापरवाही या कदाचार के मामले में सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करना। पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को नियमित और सटीक रिपोर्ट प्रेषित करना।

i) अधीनस्थ कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की योजना तैयार कर उनके प्रभावी कियान्वयन का पर्यवेक्षण करना, जिससे भविष्य में नवीन कर्मी उपलब्ध रहें।

j) महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेन्स क्लासेज आयोजित कराना जिसमें महिला शक्ति केन्द्र के कर्मी भी सम्मिलित हो सकते हैं।

k) प्रकरण को आवश्यकतानुसार चिन्हित कर पीड़िता की काउन्सलिंग प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

l) वन स्टॉप सेण्टर की क्षमता का आंकलन कर आवश्यकतानुसार इन्हैन्समेन्ट की कार्यवाही प्रारम्भ करना।

ii. सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के उत्तरदायित्व–

a) मिशन शक्ति केन्द्र सम्बन्धित थाने का एक भाग है जो महिला चौकी की भांति कार्यों को सम्पादित करेगा। मिशन शक्ति केन्द्र की प्रभारी, थाने के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करेंगी।

b) सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र के औपचारिक रूप से प्रारम्भ किये जाने/लांच किये जाने के 02 सप्ताह के अन्दर अपने थाने में मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना कराकर सुचारू रूप से क्रियाशील कराया जाना सुनिश्चित करना।

c) थाना प्रभारी द्वारा अपने थाने के मिशन शक्ति केन्द्र का नियमित निरीक्षण करना।

d) उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों के सम्बन्ध में मिशन शक्ति केन्द्र में कार्यरत कर्मियों की नियमित ब्रीफिंग करना।

e) मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारी द्वारा संसाधनों के सम्बन्ध में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।

f) यह सुनिश्चित करना कि महिला शक्ति केन्द्र प्रभारी का मोबाइल नम्बर ग्राम पंचायत स्तर पर प्रसारित किया जाए।

iii. सम्बन्धित सहायक पुलिस उपायुक्त/क्षेत्राधिकारी के उत्तरदायित्व–

a) क्षेत्राधिकारी अपने सर्किल में मिशन शक्ति केन्द्र के लिए सहायक नोडल अधिकारी होंगे। इनकी भूमिका नीति के कियान्वयन और पर्यवेक्षण तथा अपने क्षेत्राधिकार में महिला सुरक्षा पहलों के समग्र समन्वय की होगी।

b) अपने सर्किल के सभी मिशन शक्ति केन्द्र और महिला हेल्प डेस्क के समग्र प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करना। मासिक/पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना और प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश देना। अपने क्षेत्राधिकार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के रुझानों (TRENDS) और पैटर्नों का विश्लेषण करना तथा निवारक उपायों का सुझाव देना तथा नोडल अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कियान्वित कराना।

c) यह सुनिश्चित करना कि थानों में महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केन्द्र के लिए पर्याप्त मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन और भौतिक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध हो।

d) अपने क्षेत्राधिकार के भीतर विभिन्न सरकारी विभागों (जैसे समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा), न्यायिक अधिकारियों (DLSA), NGOs और अन्य हितधारकों के साथ जिला स्तरीय समन्वय स्थापित करना। यह

सुनिश्चित करना कि पीड़ित महिलाओं को सभी आवश्यक सहायता सेवाएँ (OSC, PPK, पुनर्वास, क्षतिपूर्ति) निर्बाध रूप से मिल सकें।

e) अपने सर्किल में महिलाओं में सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए जनसंपर्क और जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना। सामुदायिक संवाद को बढ़ावा देना जो महिलाओं को पुलिस के पास आने के लिए प्रोत्साहित करे।

f) अपने अधीनस्थ समस्त मिशन शक्ति केन्द्र कर्मियों की जवाबदेही तय करना और किसी भी लापरवाही या कदाचार के मामले में सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करना। वरिष्ठ अधिकारियों (अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक) को समय पर और सटीक रिपोर्ट प्रेषित करना।

g) अपने सर्किल के प्रत्येक थाने की मिशन शक्ति केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण कर विवरण निरीक्षण पुस्तिका में अंकित करना।

h) थाने जाने पर मिशन शक्ति केन्द्र के सभी कर्मचारियों के साथ सम्मेलन करना, उनकी समुचित ब्रीफिंग करना, फीडबैक लेना, मिशन शक्ति केन्द्र की कार्यक्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश देना।

i) मिशन शक्ति केन्द्र में नियुक्त पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कराना।

iv. कमिश्नरेट/जनपदीय पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के उत्तरदायित्व–

a) मिशन शक्ति केन्द्र के संचालन हेतु पर्यवेक्षक (Supervisor) के रूप में कार्य करेंगे।

b) **अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को मिशन शक्ति केन्द्र के कमिश्नरेट/जनपदीय नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करना।**

c) अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र हेतु किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन और उनके कार्य निष्पादन की समय–समय पर समीक्षा।

d) कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित रणनीति का निर्धारण और उसके क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश देना।

e) प्रत्येक माह की अपराध गोष्ठी में मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारी भी उपस्थित रहेंगे। उनके कार्यों एवं समस्याओं की नियमित समीक्षा करना।

f) मिशन शक्ति केन्द्र के सन्दर्भ में अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर निर्णय लेना और सुधारात्मक निर्देश देना।

g) सभी मिशन शक्ति केन्द्र में पर्याप्त संसाधनों एवं जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

h) मिशन शक्ति केन्द्र में लापरवाही या संवेदनहीनता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना और समयबद्ध, न्यायसंगत समाधान की जिम्मेदारी तय करना।

i) पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक 02 सप्ताह के अन्दर अपने कमिश्नरेट/जनपद के सभी थानों में मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना कराकर सुचारू रूप से क्रियाशील कराया जाना सुनिश्चित कराएंगे।

j) यह सुनिश्चित करना कि थानों में महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केन्द्र के लिए पर्याप्त मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन और भौतिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। पूर्व में जो संसाधन यथा– फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फोन आदि महिला हेल्प डेस्क के लिए आवंटित किये गये थे या आवंटित फण्ड से क्रय किये गये थे, उन सभी को मिशन शक्ति केन्द्र में समायोजित कराना।

k) विभिन्न सरकारी विभागों (जैसे–समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा), न्यायिक अधिकारियों (DLSA) NGOs और अन्य हितधारकों के साथ जिला स्तरीय समन्यव स्थापित करना। यह सुनिश्चित करना कि पीडित महिलाओं को सभी आवश्यक सहायता सेवायें (OSC, PPK, पुनर्वास, क्षतिपूर्ति, चिकित्सा) निर्बाध रूप से मिल सके।

v. परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक के उत्तरदायित्व–

a) परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक रेन्ज मिशन शक्ति केन्द्र की पूर्ण कार्ययोजना को "In Letter & Spirit" (शब्दों के अक्षरशः आशय को समझना व पालन करना) के साथ धरातल पर

क्रियान्वित करने हेतु Change Agent की भूमिका निभाएंगे तथा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी से लगातार संवाद/पर्यवेक्षण कर इस व्यवस्था को बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

b) परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक अपने परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी जनपदों के थानों में आदेश के अनुसार मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

c) जोन/परिक्षेत्र के थानों में स्थापित होने वाले मिशन शक्ति केन्द्र की संख्या के अनुसार आवश्यक महिला कर्मियों की संख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी जनपद में महिला कर्मियों की संख्या अधिक है तो अधिक संख्या वाले जनपदों से कम संख्या वाले जनपदों में आवश्यकतानुसार महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करेंगे।

d) अधीनस्थ किसी जनपद के भ्रमण के दौरान मिशन शक्ति केन्द्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा–निर्देश देंगे।

e) अधीनस्थ जनपदों के मिशन शक्ति केन्द्र के जनपदीय नोडल अधिकारियों के साथ समय–समय पर बैठक कर समीक्षा करेंगे तथा समस्त SOPs के अनुसार मिशन शक्ति केन्द्र का संचालन सुनिश्चित करायेंगे।

f) मिशन शक्ति केन्द्र से सम्बन्धित कर्मियों के प्रशिक्षण की समीक्षा करेंगे।

vi. **जोनल अपर पुलिस महानिदेशक के उत्तरदायित्व–**

- जोनल अपर पुलिस महानिदेशक अपने जोन के अधीनस्थ जनपदों के मिशन शक्ति केन्द्र के संचालन हेतु सर्वोच्च पर्यवेक्षक (Overall Supervisor) के रूप में कार्य करेंगे।

6. प्रशिक्षण–

i. मिशन शक्ति केन्द्र पर नियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना नितान्त आवश्यक है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा समस्त प्रशिक्षण सामग्री तैयार कर भारत सरकार के iGoT कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी। मिशन शक्ति केन्द्र के नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एक माह के अन्दर जनपदों के सभी मिशन शक्ति केन्द्र में नियुक्त होने वाला सम्पूर्ण पुलिस बल iGoT कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना अनिवार्य प्रमाणपत्र प्राप्त करे। प्रशिक्षण में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए–

a) महिला सम्बन्धी अपराधों की संवेदनशीलता की समझ, कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी, संवाद कौशल, काउन्सलिंग एवं नेतृत्व विकास, लैंगिक संवेदनशीलता व ट्रामा इन्फार्म्ड केयर, पीड़िता केन्द्रित इन्टरव्यू तकनीक, डिजिटल साक्ष्य, आर्थिक सहायता योजना आदि का प्रशिक्षण।

b) प्रशिक्षण में महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा, पॉश ऐक्ट, पॉक्सो ऐक्ट के साथ बी0एन0एस0 के अन्तर्गत छेड़खानी, बलात्कार, एसिड अटैक, दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, ट्रैफिकिंग इत्यादि अपराधों से सम्बन्धित विषयों का प्रशिक्षण।

c) एफ0आई0आर0 दर्ज करने/कराने की प्रक्रिया, केस डायरी लेखन, साक्ष्य एकत्रीकरण, पीड़िता के बयान एवं चिकित्सीय परीक्षण के महत्व एवं कार्यवाही का ज्ञान।

d) शिकायतकर्ता/पीड़िता से संवाद कला, मनोवैज्ञानिक सहायता एवं गम्भीर प्रकरणों को हैण्डल करना।

ii. जनपदीय नोडल अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की योजना तैयार कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण किया जायेगा।

7. अन्य–

- महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, महिला शक्ति केन्द्र की व्यवस्था को सम्पूर्ण प्रदेश में क्रियान्वित करायेंगें तथा उसकी कार्यवाही की त्रैमासिक समीक्षा करेंगे।
- महिला सुरक्षा हेतु जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार कराने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश व पैम्फलेट/होर्डिंग के प्रारूप तैयार कर जनपदों को उपलब्ध करायेंगे।

8. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए अपने–अपने कमिश्नरेट/जनपदों के प्रत्येक थाना परिसर के अन्दर प्रस्तावित **"मिशन शक्ति केन्द्र" को तत्काल स्थापित कराकर तद्नुसार उन्हे संचालित/क्रियान्वित** कराया जाना सुनिश्चित करें तथा मुख्यालय द्वारा आख्या मांगे जाने पर प्रेषित करें। मिशन शक्ति केन्द्र द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विविध कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न SOPs की बुकलेट जारी की गयी है, जिसके अनुसार कार्यवाही करायी जाय।

भवदीय,

(राजीव कृष्णा) 21/3.

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवे उ0प्र0।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जोनल/रेलवे अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था), उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।